



30

**माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश**

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी PBR/निष्पत्ती/मंदसौर/भू-रं/2017/2038

1. कारूलाल पिता मांगूजी, जाति-चमार,
2. रतनलाल पिता मांगूजी, जाति-चमार,
3. चन्दरलाल पिता मांगूजी, जाति-चमार,
4. पूरा पिता किशनजी, जाति-चमार,
5. सामन्तलाल पिता कचरूलाल, जाति-चमार,
6. कमलाबाई विधवा कचरूलाल, जाति-चमार
7. रामगोपाल पिता कचरूलाल, जाति-चमार,
8. विनोद पिता कचरूलाल, जाति-चमार,
9. रामनिवास पिता कचरूलाल, जाति-चमार,
10. सालगराम पिता भेरु जाति चमार,
11. किशन पिता भेरु जाति चमार,
12. बगदीराम पिता पन्नाजी, जाति चमार, समस्त निवासीगण-ग्राम सेमली काकड़ तहसील सुवासरा जिला मंदसौर .....आवेदकगण

विरुद्ध

1. कैलाशनाथ पिता मन्नानाथ, जाति-कालबेलिया,
2. पीरूसिंह पिता रामसिंह जाति-राजपूत,
3. दरबारसिंह पिता रामसिंह जाति-राजपूत,
4. मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति-राजपूत, निवासीगण-ग्राम सेमली काकड़ तहसील सुवासरा जिला मंदसौर म.प्र. ।
5. मेसर्स एवेंजर्स सोलर, प्रायवेट लिमिटेड द्वारा आशुतोष नारायण पिता विद्यासागर, जाति चौरसिया, कृषक सेमली काकड़, तहसील सुवासरा जिला मंदसौर म.प्र.....अनावेदकगण

श्री सुखरूप रंजित बरबरीया, को  
द्वारा आज दि 4-7-17 को  
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-7-17  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

L

**पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता ।**

*(Handwritten signature)*

⊙

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार सुवासरा के प्रकरण क्रमांक 1/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2017 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है ।



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

कृष्ण कमांक PBR/निगरानी / मंदसौर / भू.रा. / 2017 / 2038 [अरुलाल / कुलाशनाथ]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-7-2017	<p>आवेदकगण की ओर से श्री सुभाष बम्बोरिया, अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 28-6-2017 की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण में सुनवाई की जा रही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>